

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(81)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 25.03.2019

कोषाधिकारी,  
सचिवालय कोष,  
जयपुर।

स्वीकृति संख्या - 832 /2018-19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा निधि, जयपुर के पी. डी. खाते में राशि रुपये 115.97 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के पत्र क्रमांक प.10(8)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 14.03.2019 में अंकित शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा निधि, जयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 115.97 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख लाख सत्तानवे हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -33

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102 - समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

(02) - निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, विभाग के माध्यम से

(01) - राज्य सरकार के पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा योजनान्तर्गत अनुदान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)

राशि रुपये 115.97 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय,

(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर।
- 3 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।
- 5 तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
- 6 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 7 रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)